

मांग संख्या 80  
मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 1**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत ₹ 5491.03 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 549103000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनान्तर्गत ₹ 1429.19 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 142919000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजनान्तर्गत ₹ 251.64 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 25164000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

**मद क्रमांक 4 से 6**

पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान हेतु ₹ 59700.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 59700,00,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।